न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –124/2021

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/194

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
जेबुनिशा पत्नी मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान लदावत बीकानेरी आयू 41 साल निवासी लोहारपुरा नागोर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।		1. श्रीमति नजीरा पत्नी अलादीन खां जाति मुसलमान 2. अयुब खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान 3. आसीन खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान 4. असलम खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान 5. अकरम खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान 6. मनू पुत्री अलादीन खां जाति मुसलमान रेस्पो संख्या 1–6 निवासीगण मोहम्मद पुरा नागौर तहसील व जिला नागौर राज. 7. पटवारी हल्का नागौर राज. 8. तहसीलदार नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर सोनी
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–3 व 5 की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजपैरोकार।

:: निर्णय :: दिनांक :– 12.09.2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम नागौर तहसील नागौर का म्यूटेशन संख्या 1170 जो तहसीलदार,नागौर द्वारा दिनांक 11.03.2007 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 03.12.2021 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2, व 4 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। अपीलान्ट प्रार्थीया एक पर्दानसीन तथा निरक्षर महिला है तथा मौके पर अपीलान्ट का वर्ष 2006 से आज तक निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा उपयोग आदि रहा है जिस कारण से अपीलान्ट इस मुकालते में रह गई कि रेवेन्यु विभाग के कर्मचारियों ने नियमानुसार अपीलान्ट का नाम का नामान्तरकरण उक्त खसरे में दर्ज कर दिया होगा । लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरहवाही के कारण अपीलान्ट के द्वारा खरीदे गये रकबे का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया,जबकि नियमानुसार राजस्व कर्मचारियों को अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण करते हुए दर्ज कर देना चाहिये था। अभी हाल ही में अपीलान्ट ने दिनांक 15.11.2021 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपीलान्ट के द्वारा खरीदी गई उक्त आराजी की नकल खतोनी लेने गई तो अपीलान्ट को यह प्रथम बार जानकारी हुई कि अपीलान्ट के पक्ष में अपीलान्ट के द्वारा खरीदी गई उक्त आराजी का नामान्तरकरण आज तक दर्ज नहीं किया गया है तथा साथ ही उक्त मौजा नागौर में

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

स्थित खेत खसरा संख्या 451/841 का फोतगी नामान्तरकरण रेस्पो संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड विभाग से दिनांक 18.11.2021 को नामान्तरकरण संख्या 1170 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई । अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के फैसले की जानकारी प्रथम बार दिनांक 15.11.2021 को पटवारी से मिलने एवं प्रार्थी द्वारा नकल आवेदन पेश करने एवं दिनांक 18.11.2021 को नकले प्राप्त होने पर हो गई परन्तु बाद में प्रार्थीया सर्दी जुखाम से पीड़ित हो गई तथा दिनांक 30.11.2021 को ही स्वस्थ हुई तथा स्वस्थ होते ही बिना किसी विलम्ब के न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुऐ विलम्ब को मामले की परिस्थितीयों को मदेनजर रखते हुए न्याय हित मे विलम्ब का शमन किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत होने का कथन करते हुए परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर व डिले कन्डोन करते हुए अपील पेश करने की ईजाजत प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील श्री बाबूलाल भादू ने वकील अपीलान्ट/प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि पर्दानशीन व निरीक्षर व्यक्ति को कानून में अलग से कोई छूट का प्रावधान नहीं है। तथा अपीलान्ट का मौके पर कोई कब्जा कभी नहीं रहा तथा राजस्व कर्मचारियो की कोई लापरवाही साबित नहीं हो रही है। तथा उक्त तथ्य अपीलाधीन म्यूटेशन से संबंधित भी नहीं है। अगर अपीलान्ट की जमीन खरीद की हुई है तो उसको इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व सावधानी बरतनी चाहिए तथा यह गलत है कि हल्का पटवारी से सम्पर्क करने एवं नकल खतोनी लेने से प्रथम बार जानकारी हुई हो। इस तरह की जानकारी खतोनी इत्यादि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है तथा मौजा नागौर के खसरा नम्बर 451/841 फोतगी नामान्तरकरण से संबंधित है जो नामान्तरकरण रेस्पो संख्या 1 से 6 के पक्ष में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण की भली भांति जानकारी अपीलान्ट को नामान्तरकरण भरने के दिन से ही रही है। केवल मात्र अपील को अन्दर मयाद शुमार करने के लिए गलत तथ्य अंकित किये है तथा नकले प्राप्त करने के पश्चात भी 15 दिन बाद में अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई समुचित कारण व उस कारण के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, इसलिए देरी का कारण विधि सम्मत एवं मानने योग्य नहीं होने से अपील मयाद बाहर है। आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अंकन नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में अपील मयाद में सुमार नहीं की जा सकती है, का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने से मयाद के आधार पर ही उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर अपील को खारिज किये जाने का भी निवेदन किया हैं।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपील अपीलांट मयाद बाहर पेश की गई हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया प्रकरण में अपीलांट द्वारा पेश किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवे न्यायहित में प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाकर यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

वकील उभय पक्षकरान की मूल अपील पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि मौजा नागौर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 451/841 रकबा 5 बीघा भूमि के तत्कालीन खातेदार अलादीनखां पुत्र सुभान खां जाति–कायमखानी मुसलमान से रकबा 6683 वर्ग फीट भूमि अपीलांट द्वारा जरिऐ विकय पत्र दिनांक 20.03.2006 से कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। खेत खसरा नम्बर

कलक्टर नागौर

451/841 के खातेदार का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का,नागौर द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 451/841 रकबा 5 बीघा भूमि का नामान्तकरण संख्या 1170 वारिसान के नाम भरकर तहसीलदार, नागौर के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही इस सम्पूर्ण भूमि का हस्तगत नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम स्वीकृत कर दिया हैं,जो विधि विरूद्व हैं। इसलिए निवेदन हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1170 जैर अपील पर पारित आदेश दिनांक 11.03.2007 निरस्त किया जावें तथा अपीलांट की कम सुदा भूमि रकबा 6683 वर्गफीट भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 का दौराने बहस कथन हैं कि खातेदार अलादीन खां के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1170 तहसीलदार,नागौर द्वारा स्वीकार किया गया हैं,जो सही स्वीकार किया गया हैं। रेस्पोडेन्टान को अपीलांट के तथाकथित विकय पत्र की कोई जानकारी नहीं हैं। अगर अपीलांट के पास विकय पत्र था तो नामान्तरकरण के समय तहसीलदार के समक्ष पेश करना चाहिऐ था,जो उन्होंने पेश नहीं किया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि तहसीलदार,नागौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1170 पर आदेश दिनांक 11.03.2007 विधिअनुरूप पारित किया हैं। अगर अपीलांट के पास इस भूमि में से भूमि कय का बेचाननामा था तो नामान्तरकरण कार्यवाही के समय पटवारी हल्का को पेश करना चाहिऐ था,परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया हैं। अपीलांट को नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद नामान्तरकरण कार्यवाही में भाग नहीं लिया इसलिए उनकी मौन स्वीकृति थी। अब जैर अपील आदेश को चेलेन्ज किया हैं,जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने पुनः बहस का जबाब देते हुवे कथन किया कि बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक/पंजीयन होने के बाद उक्त बेचाननामा की एक प्रति तहसीलदार को नामान्तरकरण दर्ज हेतु भिजवायी जाती हैं,इसलिए उसी स्थिति में अपीलांट द्वारा यह बेचानामा पटवारी हल्का को पेश नहीं किया हैं तथा विश्वास में रहा कि उनके विकय पत्र का अमल दरामद हो गया होगा परन्तु वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन करने से तथा पटवारी हल्का से जानकारी लेने के बाद वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई कि अपीलांट की कय सुदा भूमि का भी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 6 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया हैं। इसलिए तथाकथित नामान्तकरण संख्या 1170 में पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावें तथा अपीलांट के विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नागौर के नामान्तरकरण संख्या 1170 स्वीकृत दिनांक 11.03.2007 का अवलोकन किया गया। जिसमें जमाबंदी के खाता संख्या 16 व 17 के खातेदार अल्लादीन खॉ पुत्र सुभानखां कायमखानी का स्वर्गवास होने पर कॉल संख्या 14 में पटवारी द्वारा उक्त खातेदार का फौतेदगी नामान्तरकरण मृतक खातेदार अल्लादीन खां के वारिसान/उत्तराधिकारी के नाम कॉलम संख्या 9 के अनुसार दर्ज कर पेश किया गया हैं तथा भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच की गई तथा तहसीलदार,नागौर द्वारा बदस्तूर कॉलम संख्या 3 से 6 स्वीकृत का आदेश दिनांक 11.03.2007 को पारित किया हैं। उक्त नामान्तरकरण में खाता संख्या 16 की भूमि खसरा नम्बर 451/841 भी दर्ज तथा इस भूमि में से अपीलांट द्वारा जरिऐ बेयनामा दिनांक 21.03.2006 से भूमि रकबा 742.55 वर्ग गज यानि 6683 वर्गफुट भूमि कय की गई हैं,जो बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय,नागौर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 556 में पृष्ठ संख्या 176 कम संख्या 2006001162 पर पंजीबद्व किया गया हैं। इस प्रकार इस नामान्तरकरण से अपीलांट की कय सुदा भूमि को भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज किया गया,जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व हैं। तथा यहॉ

कलक्टर नागौर

यह भी उल्लेखनीय हैं कि उक्त नामान्तरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करते समय अपीलांट को भी सुना जाना चाहिऐ था परन्तु उनको सुना भी नहीं गया हैं। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 1170 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2007 विधि विरूद्व/त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1170 में पारित जैर अपील आदेश दिनांक 11.03.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को नियमानुसार साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर को मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)